मुहाफिज

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 86 सन 2022
अनवान :-

1. मनीराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुगनाराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. मंदौरी पत्नी स्व अमराराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. सरस्वती पुत्री स्व अमराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. द्रोपती पुत्री स्व अमराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. सुन्दर पुत्री स्व अमराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. राजबाला पुत्री अमराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. सीता पुत्र स्व अमराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. आसाराम पुत्र स्व अमराराम (फोत)
   - 7/1. गुडडी पत्नी आशाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
   - 7/2. सुनील कुमार पुत्र आशाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
   - 7/3. संदीप कुमार पुत्र आशाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
   - 7/4. कालुराम पुत्र स्व आशाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. कालुराम पुत्र अस्व आशाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25/7/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 12/9 की कुल 11.4200हैक भूमि एवं रोही मौजा थिराना के खता संख्या 11/8 की कुल 9.5480हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम एवं उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा मोटाराम की नोतोड करदा भूमि थी मोटाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि थी मोटाराम के देहान्त होने के बाद मोटाराम के पुत्र अमराराम अकेले के नाम दर्ज हो गई अमराराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के भाई अमराराम के वारिसान प्रतिवदी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें मोटाराम के सभी सदस्यो/वारिसान का बराबर का हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हिस्सा है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का वाद की मद संख्या 5 के अनुसार हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो अमराराम की पुत्रीया एव प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 की बुआ एव प्रतिवादी संख्या 8 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईया /बुआ के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 , 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कई मर्तबा कहा की वादीगा के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने राजीनामा/बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पर्वूज मोटाराम की नोतोड करदा भूमि थी जो मोटाराम के देहानत होने उनके तीनो पुत्रो के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु सहवन से मोटाराम के पुत्र अमराराम के नाम से दर्ज हो गई अमराराम के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज हो गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज वाद भूमि मोटाराम के देहान्त होने पर वादीगण एव अमराराम के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी सहवन से अमराराम एव उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई है वाद भूमि सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 8 की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 एव 8 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 12/9 की कुल 11.4200हैक्‍ भूमि एवं रोही मौजा थिराना के खताा संख्या 11/8 की कुल 9.5480हैक्‍ भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम एवं उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा मोटाराम की नोतोड करदा भूमि थी मोटाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि थी मोटाराम के देहान्त होने के बाद मोटाराम के पुत्र अमराराम अकेले के नाम दर्ज हो गई अमराराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जो वर्तमान में वादी के भाई अमराराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें मोटाराम के सभी सदस्यो/वारिसान का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का वाद की मद संख्या 5 के अनुसार हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो अमराराम की पुत्रीया एव प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 की बुआ एव प्रतिवादी संख्या 8 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईया /बुआ के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 , 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर. डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 12/9 की कुल 11.4200हैक्‍ भूमि एवं रोही मौजा थिराना के खताा संख्या 11/8 की कुल 9.5480हैक्‍ भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम एवं उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादीगण के पूर्वज मोटाराम की नोतोड भूमि थी जो सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक आय से अर्जित/नोतोड करदा भूमि थी मोटाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि में वादीगण एव अमराराम का बराबर का हक हिस्सा था किन्तु सहवन से मोटाराम के देहान्त होने के बाद अमराराम एव अमराराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज हुई है जो वादीगण एव प्रतिवादी सख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल/राजीनामा पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 की बुआ एव प्रतिवादी संख्या 8 की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 ,8 के पक्ष में त्याग किया हुआ वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 ,8 के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 , 8 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 11/8 के खसरा संख्या 113 की 9.5480हैव भूमि में वादीगण के पास 5.566हैव बहिब पश्चिमी साईड की एवं शेष 3.9820हैव भूमि में प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 बहिब 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 1/2 हिस्सा पूर्वी साईड के खातेदार काश्तकार रहेगे इसीप्रकार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 12/9 की कुल 11.4200हैव भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 3.5420हैव एव वादी संख्या 2 अकेला 4.336हैव भूमि पश्चिमी दिशा व प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 बहिब 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 1/2 के पास 3.542हैव पूर्व पूर्वी दिशा की भूमि रहेगे रास्ता यथावत रहेगा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मनीराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर।
2 सुगनाराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 मंदौरी पत्नी स्व अमराराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

2 सरस्वती पुत्री स्व अमराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

3 द्रोपती पुत्री स्व अमराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

4 सुन्दर पुत्री स्व अमराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

5 राजबाला पुत्री अमराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

6 सीता पुत्र स्व अमराराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

7 आसाराम पुत्र स्व अमराराम (फोत)

7/1. गुडडी पत्नी आशाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

7/2. सुनील कुमार पुत्र आशाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

7/3. संदीप कुमार पुत्र आशाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

7/4. कालुराम पुत्र स्व आशाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

8 कालुराम पुत्र अस्व आशाराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर हाल बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 86 सन 2018 निर्णय दिनांक- 25/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 11/8 के खसरा संख्या 113 की 9.5480हैक्ट भूमि में वादीगण के पास 5.566हैक्ट बहिब पश्चिमी साईड की एवं शेष 3.9820हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 बहिब 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 1/2 हिस्सा पूर्वी साईड के खातेदार काश्तकार रहेगे इसीप्रकार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 12/9 की कुल 11.4200हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 3.5420हैक्ट एव वादी संख्या 2 अकेला 4.336हैक्ट भूमि पश्चिमी दिशा व प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 बहिब 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 1/2 के पास 3.542हैक्ट पूर्व पूर्वी दिशा की भूमि रहेगे रास्ता यथावत रहेगा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

(श्वेता कोचर)

नोहर

Scanned with CamScanner